



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

(मुख्य कार्यालय) / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14 भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

By FAX
By Speed Post

No. Budget/105(43)/2009-10/2010-11/Main

Dated: 18.07.2010

To

28 JUL 2010

The All RPFC in-Charge of the Region
Including Director (NATRSS), EPF Appellate Tribunal
RPFC (ASD), Head Office

**Sub: Ex-post-facto sanction for excess expenditure under the budget head
"Bank Commission" for the year 2009-10 clarification - reg.**

Sir,

While forwarding the proposal for Ex-post-facto sanction for excess expenditure under the budget head "Bank Commission" for the year 2009-10 to Head Office, it is seen that some RPFCs-in-charge of the Region have forwarded their proposals for ex-post facto sanction intimating that the Service Charges is directly debited by the Bank & there is shortage of budget.

In this connection, CPFC has directed to seek clarification under the head "Bank Commission" that "Whether the RO/SRO verify that the Bank Commission deducted by SBI is in accordance with the practice since Dec. 2009? RPFC in-Charge of the Region should check & certify the correctness of commission deducted." Hence, it is requested that all RPFCs-in-charge should check the correctness of bank commission deducted by the SBI and send a certificate to this effect to the Head Office except those who have already been granted ex-post facto sanction.

(This issues with the approval of Competent Authority)

Yours faithfully,


(R.K.SINGH)

Regional P.F. Commissioner-I
(Finance & Accounts)

Contd....

Copy to:

1. PS to CPFC
2. PS to FA &CAO
3. All Additional CPFCs in Head Office.
4. All Additional CPFCs of Political States
5. Chief Vigilance Officer / All Dy. Director, Vigilance
6. RPFC, HRM, Head Office and RPFC, WSU
7. R.P.F.Cs-in-Charge, Zonal Training Institute, Faridabad, Ujjain, Calcutta, and Chennai
8. Officer-in-Charge, Sub-Regional Offices
9. All ZAOs of Internal Audit Party
10. Pre Audit Cell, Head Office
11. All Officers in Head Office / All Section Officers
12. General Secretary, EPF Officers Association, Ranchi
13. General Secretary, EPF Staff Federation, Chandigarh
14. General Secretary, EPF SC / ST Staff Federation, New Delhi
15. RPFC (NDC) with a request to upload the same on EPF Website.
16. Guard File.



(R.M.PARTI)

Assistant P.F. Commissioner(Budget)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(मुख्यालय) Tel: 26172672
Employees' Provident Fund Organisation(Head Quarters)
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour, Govt. Of India)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place,
नई दिल्ली - 110066
New Delhi-110066.

संख्या : बजट /105 (43)/2009-10/2010.11/मुख्य.

दिनांक : 28 जून 2010

सेवा में,

क्षेत्रों के प्रभारी सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
निदेशक (नाटर्स) क0 भ0 नि0 अपीलीय प्राधिकरण
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.स.प्र)मुख्यालय सहित।

विषय:

वर्ष 2009-10 के लिए बजट शीर्ष "बैंक कमीशन" के अन्तर्गत अधिक व्यय हेतु
कार्योत्तर स्वीकृति के विषय में स्पष्टीकरण संबंधी।

महोदय,

यह देखने में आया है कि वर्ष 2009-10 के लिए बजट शीर्ष बैंक कमीशन के
अन्तर्गत अधिक व्यय हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजते समय क्षेत्रों के प्रभारी
कुछ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अपने प्रस्ताव यह सूचित करते हुए
अप्रेषित कर दिए हैं कि बैंक द्वारा सेवा प्रभार सीधे ही काट लिए हैं तथा बजट कम है।

इस संबंध में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा बजट शीर्ष बैंक कमीशन के अन्तर्गत
स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निदेश दिए गए हैं कि क्या क्षेत्रीय कार्यालय/ उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्या
यह सत्यापन किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा काटी गई "बैंक कमीशन" दिसंबर, 09 से
जारी पद्धति के अनुसार है? क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त काटी गई कमीशन की
जांच करें व उसकी शुद्धता (सटीकता) को प्रमाणित करें। अतः यह अनुरोध है कि सभी प्रभारी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त भारतीय स्टेट बैंक द्वारा काटी गई बैंक कमीशन की जांच कर लें और जिन्हें
इस संबंध में पहले ही कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भविष्य निधि
आयुक्त इस आशय का एक प्रमाणपत्र मुख्यालय को भेजें।

(यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।)

भवदीय,


(आर.के. सिंह)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - 1 (वित्त एवं लेखा)

27/7/10

प्रतिलिपि:-

1. के.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी सचिव।
3. मुख्यालय में सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।
4. राज्यों के सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सभी उपनिदेशक सतर्कता।
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मा.स.प्र. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्य अध्ययन एकक (डब्लू एस यू)।
7. प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, उज्जैन, कोलाकाता एवं चेन्नै।
8. प्रभारी अधिकारी उपक्षेत्रीय कार्यालय (सभी)।
9. आंचलिक लेखा परीक्षा दल के सभी आंचलिक लेखापरीक्षा अधिकारी।
10. पूर्व लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
11. मुख्यालय के सभी अधिकारी/ सभी अनुभाग अधिकारी।
12. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, रांची।
13. महासचिव, क.भ.नि. स्टाफ फैडरेशन, चण्डीगढ़।
14. महासचिव, क.भ.नि. अनु. जाति/ अनु. जनजाति स्टाफ फैडरेशन, नई दिल्ली।
15. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, (एन डी सी) क.भ.नि. वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
16. गार्ड फाइल।



(आर.एम. पारती)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (बजट)